5 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

113
2013

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क   /15 निगरानी

किशोरी पुत्र श्री भगुन्ते अहिरवार निवासी
ग्राम टेहरका जिला टीकमगढ म0प्र0

——प्रार्थी

बनाम   नि0 / 3506 / II-15

सी0 एम0 गुप्ता एड.
28.10.15

1 दयाराम पुत्र श्री गोपी गडरिया
2 दुर्जन पुत्र गोपी गडरिया
3 ग्यादीन पुत्र गोपी गडरिया निवासीगण ग्राम टेहरका तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ

——प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 117/अ–19/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 15.09.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर (म0प्र0)

श्री सी. एम. गुप्ता एड. द्वारा आज दि. 28-10-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 28-10-15

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1 यहकि प्रार्थी ने तहसीलदार निवाडी के प्रकरण कमांक 41/अ 19/2002–03 आदेश दिनांक 03.05.2003 के विरूद्ध धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता के अंतर्गत एक पुनरीक्षण निम्न लिखित आधारो के तहत् प्रस्तुत की थी म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 जिसे इस पुनरीक्षण में आगे अधिनियम 1984 लिखा जायेगा के अनुसार यदि कोई भी दखल रहित भूमि में 2 अक्टूबर 1984 को किसी कृषिक श्रमिक का कब्जा हो संहिता या उसके अधीन निर्मित

क्रमशः 02

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3506-II/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. नस्ती में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियाँ आवेदक द्वारा मेमो एवं तर्कों के साथ उपलब्ध कराइ गई हैं जिनका मैंने बारीकी से, तर्कों और मेमो के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन किया है. प्रकरण गोपी गडरिया के ६ पुत्रों को (३ को निग ३५०६/दो/१५ में और ३ अन्य को निग ३५०७/दो/१५ में) दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, १९८४ (अधिनियम) के अधीन तहसीलदार, निवाड़ी के आदेश दि ३-५-०३ से पट्टे दिए जाने से सम्बंधित है. आवेदक निगराकार द्वारा इन पट्टों के दिए जाने का विरोध यह कहते हुए किया जा रहा है कि (१) गोपी गडरिया के पास पहले से ही ज़मीं थी जिसकी वजह से उसके पुत्रों को इन पट्टों की पात्रता नहीं थी, (२) २ अक्तूबर, १९८४ की स्थिति में पट्टाग्रहीताओं के पास उक्त भूमि का कब्ज़ा नहीं था, (३) आवेदक स्वयं का उक्त भूमि पर १९७५-७६ से कब्ज़ा है, वह अनुसूचित जाति का है, अतः उक्त भूमि उसके हित में व्यवस्थापित की जनि चाहिए थी. आवेदक का यह भी कहना है कि अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने जो उनकी निगरानी को उनके आदेश दि २२-१०-१२ से विलम्ब के आधार पर निरस्त किया है, वह गलत है. साथ ही आवेदक का यह भी कहना है कि अपर आयुक्त ने उसकी ओर से अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को लगभग ३ वर्ष लंबित रखने के बाद क्षेत्राधिकार के बिंदु पर और यह लिखते हुए की निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं हो सकती, दि १५-९-१५ को समाप्त कर दिया अहि, जो भी गलत है. इसके विरुद्ध आवेदक ने रा मं में यह निगरानी प्रस्तुत की है.	

प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आदेश दि ३-५-०३ में तहसीलदार ने यह पाया है कि गोपी गडरिया के पास कुल २.०९७ है. भूमि थी, जिसके आधार पर उन्होंने यह पाया है की उसके प्रत्येक पुत्र के हिस्से में ०.३०० है. भूमि आती थी, जिस कारणवश उन्होंने गोपी के प्रत्येक पुत्र को पट्टे के लिए पात्र पाया है. दूसरी ओर निगरानी मेमो के पृष्ठ ४ पर पैरा ८ में आवेदक ने यह लिखा है कि उसके पास वाद भूमि के कब्ज़े के अलावा उसी भूमि से लगी एक हेक्टेयर भूमि है, जिसके प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि वह स्वयं उक्त अधिनियम के अंतर्गत पट्टा पाने का पात्र नहीं है. जहाँ तक कब्ज़े के पुराने होने का प्रश्न है तो अनावेदकों का कब्ज़ा पुराना होने का प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा उनका आदेश पारित करने के पूर्व कराया गे अहै, किन्तु आवेदक द्वारा उसके कथित कब्ज़े के समर्थन में कोई कोई अभिलेखीय प्रमाण अधीनस्थ न्यायालयों में या इस न्यायालय में नहीं दिया गया है. ऐसे में प्रथमदृष्टया गुणदोष का संतुलन आवेदक की बनिस्पत अनावेदकों के पक्ष में ही होता है.

आवेदक का अगला कहना यह है कि अपर कलेक्टर ने उनकी निगरानी समय बाधित मानकर निरस्त की जो गलत था. आवेदक का निगरानी मेमो के पैरा ८ में यह लेख है कि तहसीलदार ने कोई इश्तेहार जारी नहीं किया और न ही उसे कोई नोटिस दिया जबकि उसका १९७४-७५ से उक्त भूमि पर कब्ज़ा था. इस वजह से उसे पट्टा आबंटन आदेश की जानकारी दि २६-१-११ को अनावेदकों द्वारा झगडा किये जाने पर दि २७-१-११ को मिली. अपर कलेक्टर के आदेश दि २२-१०-१२ के अंतिम पैरा में उन्होंने उनके विलम्ब के आधार पर निगरानी ख़ारिज किये जाने के निष्कर्ष के आधारों को स्पष्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि "उत्तरवादीगणों (अनावेदकों) के द्वारा वर्ष ०४-०५ में प्रश्नाधीन भूमि की तरमीम करवाई गई थी, जिसकी जानकारी पुनरीक्षणकर्ता (आवेदक) को रही, क्योंकि तरमीम के समय बनाए गए पंचनामे पर पुनरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर हैं, और उक्त तरमीम को तहसीलदार के आदेश दि १५-१०-१५ से स्वीकृत किया गया है. इससे सिद्ध होता है कि यदि पुनरिक्षणकर्ता को उस समय कोई आपत्ती थी तो उसे तत्समय ही सक्षम न्यायालय में

कार्यवाही करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की". इन आधारों पर अपर आयुक्त ने विलम्ब के आधार पर आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की गई निगरानी को निरस्त किया है. इनके प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि अपर कलेक्टर का निर्णय स्पष्टतः अभिलेखीय आधार पर लिया गया था, और आवेदक द्वारा दि २७-१-११ को झगडे के बाद पट्टा आबंटन की जानकारी मिलने की बात, अपर कलेक्टर द्वारा अभिलेख में आवेदक के हस्ताक्षर पे जाने के प्रकाश में, विश्वसनीय नहीं रहती. अतः, मैं अपर कलेक्टर के विलम्ब क्षम्य नहीं होने के निष्कर्ष को सही पाता हूँ. साथ ही इस पैरा के पूर्ववर्ती पैरा में की गई विवेचना के प्रकाश में, प्रकरण का गुणदोष भी आवेदक की बनिस्पत अनावेदकों के पक्ष में ही पाता हूँ.

जहाँ तक अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि १५-९-१५ का विषय है, तो उन्होंने प्रकरण के ना तो गुणदोष पर ही कोई विचार किया है और निष्कर्ष दिए हैं, और ना ही विलम्ब पर. उन्होंने उनके न्यायालय में प्रकरण की पोषणीयता और क्षेत्राधिकार के बिन्दुओं को आधार बनाकर अपने न्यायालय से प्रकरण समाप्त किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी हस्तक्षेप की मुझे कोई आवश्यकता इसलिए प्रतीत नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपर कलेक्टर के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया ही नहीं है और मैं अपर कलेक्टर के विलम्ब क्षम्य नहीं पाने वाले निष्कर्ष से, उससे सम्बंधित आधारों के प्रकाश में, सहमत हूँ, अपर कलेक्टर के इस आदेश का लाभ अनावेदकों को मिला है, तथा ऊपर लिखे जा चुके कारणों से मैं वाद का गुणदोष भी आवेदक की बनिस्पत अनावेदकों के पक्ष में ही अधिक होना पाता हूँ.

अतः, ऊपर की जा चुकी विस्तृत विवेचना के प्रकाश में मेरा यह मानना है कि यदि इस प्रकरण को रा मं में ग्राह्य किया जाता है तो उससे अनावश्यक न्यायिक वाद और प्रक्रिया बढ़ेंगे जिसका खामियाजा अनावश्यक तौर पर अनावेदकों को उठाना पड़ेगा जो ऊपर लिखे जा चुके कारणों के प्रकाश में न्यायोचित नहीं होगा.

अतः, मैं इस प्रकरण को रा मं में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ.

इसी के साथ यह प्रकरण रा मं से अग्राह्य कर समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य